संख्या-1/2015/सा0-123/38-2-2015-33बी/2001टीसी-1

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 03 मार्च, 2015**

विषय:- जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता के आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-435/बजट/2014-15 दिनांक 21-10-2014 एवं मुख्य विकास अधिकारी बुलन्दशहर के पत्र संख्या-3001/नाजिर/वि0ख0/2014-15 दिनांक 09-10-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम यूनिट-25 अलीगढ़ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (नियोजन विभाग) द्वारा आकलित लागत रू0 283.92 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28-03-2013, संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/ 2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/ 2014, दिनांक 22-07-2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुपालन

http://shasanadesh.up.nic.in

सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्यालय-ज्ञाप/शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। निर्माण के समय मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(4) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा परिव्यय की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(6) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(7) इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(9) उक्त निमार्ण कार्य स्वीकृति लागत से निर्धारित एक वर्ष की समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृति नहीं की जायेगी। प्रथम किस्त की धनराशि की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर दूसरी किस्त प्रदान की जायेगी।

(10)उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॅारिटी से स्वीकृति कराया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

%प्रभात कुमार श्रीवास्तव%

संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2015/सा0-123(1)/38-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- अपर आयुक्त, (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

4- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।

5- कोषाधिकार, बुलन्दशहर।

6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बुलन्दशहर।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2

8- प्रोजेक्ट मैनेजर, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम यूनिट-25 अलीगढ़।

9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in